## उत्तर क्षेत्रीय समिति अध्यापक शिक्षा परिषद

भारत सरकार का एक विधिक संस्थान )



スイトリアの一 Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory, Body of the Government of India)

174662

#### TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION - IV

F. No. NRC/NCTE/NRCAPP-201615269/Recognition/269th Meeting (Part-9)/2017

12 MAY 2017

#### RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

- AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted 2. by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.
- NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2017-2018 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below.

Sr. No.	File No.	Name of Institute	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting No.
1	ID No. – 8942 NRCAPP- 201615269	Hukumchand Noble Institute of Science 7 Technology, Khasra No. 3389/870-71, Village/Town/City- Danta, Street/Road- Danta, Tehsil/Taluka- Ajmer, Town/City- Danta, District:-Ajmer, State- Rajasthan, Pin Code- 305025	BA.B.Ed./B.Sc.B.Ed.	4 Year Integrated	100 (2 Units)	269 <sup>th</sup> Meeting (Part-9)

The institutions shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session:-

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

(ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.

कार्यालय: चौथी मंजिल, जीवन निधी-॥, एल,आई.सी, बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan E-mail.: nrc@ncte-india.org, Website: www.ncte-india.org

- The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by MHRD.
- The Institution shall fill the GIS Application within one month of issue of this order.
- 12. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website <a href="www.ncte.india.org">www.ncte.india.org</a> within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By order

fell co

(Satish Gupta) Regional Director(I/C)

The Manager,
Govt. of India Press,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054
Copy to:-

1./	The, Principal Hukumchand Noble Institute of Science 7 Technology, Khasra No. 3389/870-71, Village/Town/City- Danta, Street/Road- Danta, Tehsil/Taluka- Ajmer, Town/City- Danta, District:- Ajmer, State- Rajasthan, Pin Code- 305025.					
2.	The Secretary/Manager, Competition Plus Sansthan, Village/Town/City- Danta, Street/Road- Danta, Tehsil/Taluka- Ajmer, Town/City- Ajmer, District:- Ajmer, State- Rajasthan, Pin Code- 305025					
3.	The Principal Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan Secretariat, Jaipur, Rajasthan, Pin Code -302005	With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.				
4.	The Registrar, Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer.	With the request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also ensure that the admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.				
5.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 11000					

#### राजस्थान सरकार

# कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (03/176) आकाशि/अनु/05//010 3

दि**0 30 दिसम्बर, 2008** 

## आदेश

निम्नलिखित महानिद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सब 2008-09 से पूर्व मे संचालित संकायों / विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शती के साथ-प्रदान किया जाता है:--

郊. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	176	हुकुमधन्य नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साईज एण्ड टेक्नोलोजी	दांता, वीर घौराहा के पास, अजमेर	एग.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजगेर	पूर्व संवालित विषय संकाय

संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं गंरथा का होगा ।

 संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्मारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्मारित शर्तों की पालना करेगी ।

पाज्य रारकार संस्था को वर्तगान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

- 4. संस्था को समय 2 पर गूजी सी /राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तरसम्ब भी नियम 1993 के सभी उपनव्यों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा अपरोक्त शर्तों का कभी भी उत्वांभव करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थावी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
- 7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतू आवेदन करना होगा।

8. संस्था को दो वर्ष की अवन्ति में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।

10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुरितका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

> ्पृधि (पवन कुमार गोयल) आयुक्त

प्रतिलिपि निग्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- निजी सदित, गांव उच्च शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सिवेध, माठ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जमपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5. जिला कलेक्टर, अजमेर ।
- विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7. कुल सचिव, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- शिवत, सम्बन्धित महाविद्यालय (रिजिस्टर्ड ए.डी.)
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 10. रांबंधित संस्था/ महाविद्याालय पत्रावली।
- 11. रक्षित पत्रावली ।

संयुका—निबेशक (अनुवानी) । कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ ४ (03) आकाशि/अनु/05/607

दिनांक:- 30/05/2014

# संशोधन—आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(03)आकाशि / नि.सं. / 05 / 456 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा ''हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तिन हेतु किये गये आदेश में "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर'' टंकित हो गया हैं, अतः इसके स्थान पर ''हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर" पढ़ा जायें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षां मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

- 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

4. जिला कलेक्टर, अज़मेर।

5. कुल सचिव, महर्षि इया नन्द स्मरस्वती विश्वविद्यालय, अजमर ।

र्त. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।

7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

8. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) कॉलेज शिक्षा, राज.,जयपुर



## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कमांकःएफ.14(103)शैक्ष.।।/ मदसविवि / 2014 /

दिनांकः

## अधिसूचना

पूर्व में आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांकः एफ.4(03) आकाशि/नि.सं./05/456 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा "हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तित कर "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" किये जाने के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांकः 7888 दिनांक 12.05.2014 जारी की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी संशोधन आदेश क्रमांकः एफ.4(03) आकाशि/अनु/05/607 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा "हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तित हेतु किये गये आदेश में "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" टंकित हो गया है, सूचित करते हुए "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" के स्थान पर "हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" पढा जावे बाबत् सूचित किया गया है।

अतः पूर्व में उक्त महाविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में जारी विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 7888 दिनांक 12.05.2014 की निरंतरता में एवं आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी संशोधन आदेश क्रमांकः एफ.4(03) आकाशि/अनु/05/607 दिनांक 30.05.2014 की अनुपालना में आदेशानुसार "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" के स्थान पर "हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" पढ़ा जावे ।

कुलसचिव दिनांकः *७*१—)-14

क्रमांक:एफ.14(103)शैक्ष.।।/मदस्तविवि/2014/ 13/34-48

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपूर ।

2. 🖯 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–४) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

- प्राचार्य, हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर ।
- 4. निदेशक, सीडीसी / रिसर्च, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- 5. परीक्षा नियंत्रक / वित्त नियंत्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- 6. उपकुलसचिव/अनुभागाधिकारी-परीक्षा/गोपनीय/वित्त एवं लेखा/उपाधि/मुद्रण एवं विविध, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- 7. निजी सचिव-कुलपति / निजी सहायक-कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।

उपर्कुलसचिव (शक्ष.।।)